न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

राज. निग. प्रक0 क्र0/ /014

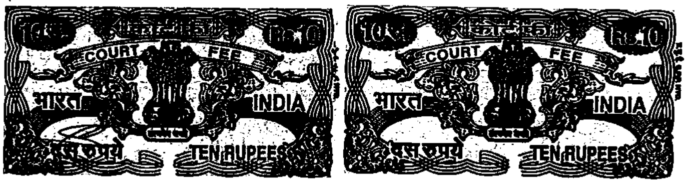

R - 2969 - III/14

वंशपति तिवारी तनय स्व0 रामनिवास तिवारी निवासी मोहल्ला पडरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

------ आवेदक

विरुद्ध

कामना सिंह पत्नी स्व0 संतोष सिंह निवासी ग्राम सलैया, पो0 मझिगवां, तहसील सिरमौर जिला रीवा, म0प्र0.

------अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि 8-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
Advocate
ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा, दिनांक 14.07.014 जो प्रकरण क्र0 141-ए-70/012-13 मे पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :

{01} यह कि प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किएजाने योग्य है ।

DR

{02} यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की थी, कि प्रकरण धारा 250 के अधीन प्रचलन योग्य

निरंतर..2पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2969–तीन/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–8–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री जे0 एस0गौड उपस्थित । प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत धारा 250 के आवेदन पत्र पर सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति की गयी थी कि प्रकरण धारा 250 के तहत प्रचलन योग्य नहीं है जिसे तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक–14.07.14 से मात्र यह लिख कर निराकृत कर दिया कि आवेदन सीमांकन उपरांत प्रस्तुत किया गया है, ऐसी दशा में संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रचलन योग्य है । इसके अतिरिक्त आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में जो नक्शा है उसमें सुधार या तरमीम नहीं हुई है ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण नक्शो के आधार पर किया गया सीमांकन भी अनुचित है । इसके अलावा वही तथ्य दुहराये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है । अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया कि आवेदिका श्रीमती कामना सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक–20.04.13 को सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षण द्वारा की गयी जिसमें आवेदिका के सर्वे कमांक–534/1 के कुछ रकवे पर आवेदक बंशपति पिता रामनिवास का अनाधिकृत कब्जा पाया गया, जिसे कब्जा मुक्त	

R. 2969/III/14 89

कराये जाने हेतु संहिता की धारा 250 की तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है । अतः निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्को के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है तथा कार्यवाही प्रचलित होकर विचाराधीन है । राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20.4.13 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि अनावेदिका के सर्वे कमांक–534/1 के अंश भाग 1.9 जरीब लम्बाई एवं 0.40 जरीव चौड़ाई पर आवेदक वंशपति तिवारी का कब्जा होना अंकित है इस सीमांकन रिपोर्ट का राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश दिनांक–22.4.13 को अंतिम रूप दिया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक–निग.–2885/तीन/13 पर दायर होकर आदेश दिनांक–15.10.13 को इस निर्देश के साथ प्रचलन योग्य न होने से अग्राहय की गयी कि यदि आवेदक चाहे तो अपने भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक–06.01.2014 को आवेदक वंशपति के सर्वे कमांक–535 रकवा 0.105 है0 व 536 रकवा 0.028 है0 के सीमांकन की कार्यवाही की गयी जिसके अनुसार यह स्थिति प्रकट हो रही है कि खसरे में आवेदक के दोनों सर्वे नम्बरों का कुल रकवा 0.133 है0 दर्ज है जवकि मौके पर बने नक्शे के अनुसार रकवा 0.101 है0 है । पंचनामा दिनांक–6.1.2014 में यह स्पष्ट अंकित है कि मौके पर आवेदक वंशपति का कब्जा पटवारी नक्शे के मान से लम्बाई–चौड़ाई से अधिक पर पाया गया है ।

R-2969/III/14 दिवा

प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार द्वारा की जा रही बेदखली की कार्यवाही से संबंधित है।सीमांकन कार्यवाही से संबंधित विवाद इस समय इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

प्रकरण में विद्यमान विषय वस्तु के संबंध में न्यायसिद्धांतों का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अमरी बाई विरूद्ध मांगीलाल, 2005 राजस्व निर्णय 178(राजस्व मण्डल) में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि जहां धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन का प्रकरण पूर्व में विनिश्चित किया जा चुका हो तो धारा 250 के अधीन कार्यवाही में इसमें आक्षेपित करना उचित नहीं होगा ।

प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को को सुना गया एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख अवलोकन तथा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतो के परिप्रेक्ष्य में मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि तहसीलदार हुजूर द्वारा अपने प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक–14.7.14 में पारित आदेश चूंकि अंतिम आदेश नहीं है एवं अभी उसमें कार्यवाही प्रकियाधीन होकर प्रचलित है , अतः उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क के समय पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट में उल्लेखित अनुसार इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया था कि आवेदक के सर्वे कमांक–535 व 536 के खसरे में अंकित रकवे से पटवारी नक्शा में उक्त सर्वे नम्बरों की आकृति कम रकवे की होने से विवाद की स्थिति बनी है । दूसरी ओर अनावेदिका कामना सिंह की भूमि के सीमांकन दिनांक–20.4.13 के अनुसार कामना सिंह के रकवे के अंशभाग पर आवेदक का कब्जा होना भी रिकार्ड पर विद्यमान है। प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही के प्रचलित होने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं पाया गया है ।

R-2969/VI/14 रीवा

ऐसी स्थिति में प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में उभय पक्षों को समक्ष में सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत कार्यवाही करें ताकि आवेदक एवं अनावेदिका को खसरा अभिलेख के अनुसार उनके द्वारा धारित रकवा मौके पर पूरा–पूरा मिल सके। इसके प्रकाश में ही मौके पर से आवेदक का कब्जा हटाने/नहीं हटाने के संबंध में विधि सम्मत निर्णय लेकर कार्यवाही की जावे । उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । तहसीलदार पालन प्रतिवेदन भेजें ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य